



राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर **+91-141-2702477, 2702528,**

E-mail :- raj.madarsa@rajasthan.gov.in, Website :- www.minority.rajasthan.gov.in



उर्दू शिक्षा सहयोगियों को आरक्षीएल प्रशिक्षण (RS-CIT) के संबंध में दिशा-निर्देश

1. प्रशिक्षण फीस (₹2700/-) राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा दो किस्तों में वहन की जायेगी। आरक्षीएल प्रशिक्षण हेतु शिक्षा सहयोगी अप्रैल 2017 से आरक्षीएल के नजदीकी प्रशिक्षण केन्द्रों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
2. जो उर्दू शिक्षा सहयोगियों निम्नलिखित कम्प्यूटर योग्यता धारित है, उन्हें आरक्षीएल कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है:-
 - a) M.C.A./B.C.A. Degree from a university established by law in India.
 - b) Graduate in Computer science/Electronics/I.T. from a university established by law in India.
 - c) Graduate with Computer subject from a university established by law in India.
 - d) Other Equal Graduate Degree in computers from a university established by law in India.
 - e) P.G.D.C.A./Other Equal Diploma in computer Science/Computer Application from university established by law in India/Institution recognized by law in India.
 - f) "O"/"A" or higher level certificate course conducted by a University established by law in India/Institution recognized by Govt. of India/DOEACC under control of Department of Electronic Govt. of India.
 - g) "C" Certificate Course conducted by IGNOU.
 - h) RS-CIT/Cot Course conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of RKCL.
 - i) COPA/DPCS Certificate Conducted under national/State Council of Vocational Training Scheme.
3. जो शिक्षा सहयोगियों पूर्व में ही बिन्दू संख्या 2 के अनुसार कम्प्यूटर योग्यता धारित है। वे शिक्षा सहयोगी सर्टिफिकेट/डिग्री की छायाप्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से मदरसा बोर्ड भिजवा सकते हैं एवं उन्हे आरक्षीएल प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है।
4. मदरसा शिक्षा सहयोगी प्रतिदिन 2 घण्टे (132 घण्टे अथवा तीन माह) आरक्षीएल प्रशिक्षण केन्द्र पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

5. चूंकि कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी पहले से ही कम्प्यूटर में प्रशिक्षित है। अतः यह प्रशिक्षण केवल उर्दू शिक्षा सहयोगियों के लिए ही होगा।
6. शिक्षा सहयोगी द्वारा उत्तीर्ण होने के उपरांत सर्टिफिकेट की छायाप्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से मदरसा बोर्ड को भिजवाना होगा। 15 मार्च 2018 तक सर्टिफिकेट मदरसा बोर्ड कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की दशा में 1 अप्रैल 2018 से मानदेय रोक दिया जायेगा।
7. यदि कोई लर्नर (शिक्षा सहयोगी) परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है या अनुत्तीर्ण होता है तो उसे रि-एग्जाम में शामिल होना होगा, जिसके लिए रि-एग्जाम फीस ₹ 300/- लर्नर द्वारा स्वयं देय होगी और यह फीस आरकेसीएल प्रशिक्षण केन्द्र पर ही जमा करवानी होगी।
8. आरकेसीएल प्रशिक्षण केन्द्र को कोई भी राशि (रि-एग्जाम फीस के अतिरिक्त) शिक्षा सहयोगी द्वारा देय नहीं होगी (यथा—आई कार्ड फीस, एग्जाम फीस आदि)
9. प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु शिक्षा सहयोगी को संलग्न प्रारूप (मदरसा बोर्ड की वेबसाइट www.minority.rajasthan.gov.in/Madarsaboard पर उपलब्ध है) में आवेदन कर आरकेसीएल प्रशिक्षण केन्द्र पर जमा करवाना होगा।


 सचिव 26/4/17
 राजस्थान मदरसा बोर्ड
 जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

RKCL Training हेतु आवेदन पत्र

(केवल उर्दू शिक्षा सहयोगी हेतु)

शिक्षा सहयोगी का नाम :—

पिता/पति का नाम :—

जन्म दिनांक :— चरण :—

पूर्ण पता :—

..... मोबाइल नं.

मदरसे का नाम :—

.....
मदरसा पंजीयन संख्या :—

मेरे द्वारा उपलब्ध करवायी गई उक्त सूचना सही है व वर्तमान में, मैं उक्त मदरसे में कार्यरत हूँ।

हस्ताक्षर शिक्षा सहयोगी

दिनांक :—

स्थान :—

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन)

उपरोक्तानुसार शिक्षा सहयोगी द्वारा बताई गई सूचना को मेरे द्वारा जांचा गया,
सूचना सही पायी गयी व शिक्षा सहयोगी को RKCL Training करवायी जानी है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

(मय सील)

दिनांक :—